

5B906C810C7BA65D21A06C21A18AC2184B038220

05-03-2019

Note:- Kindly check the authentication of NOC by verifying the UID at departmental portal of UP Fire Service.

Rashid 5/3/19

मो. एहताशम जुबेरी / Mohd. Ehtasham Zuberi
मुख्य प्रबंधक (वित्त सेवा) / Chief Manager (Finance Services)
इंडियन ऑइल कॉर्पोरेशन लि. (पि. प्र.)
Indian Oil Corporation Ltd. (M. D.)
आगरा भागदर कार्यालय / Agra Divisional Office
इंडियन ऑइल हाउस / Indian Oil House
65/2, संजय प्लेस, आगरा- 282002 (यू.पी.)
65/2, Sanjay Place, Agra - 282002 (U.P.)

सेवा में,

मुख्य अग्निशमन अधिकारी
मैनपुरी।

विषय:—मैसर्स, इण्डियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, आगरा द्वारा गाटा गाटा संख्या-1149/2 एण्ड 1150 एम0आ
मैनपुरी-भोगाँव रोड (एसएच-84) ग्राम संसारपुर, तहसील मैनपुरी, जनपद मैनपुरी उ0प्र0 पर न
आउटलेट/पेट्रोल पम्प की स्थापना हेतु प्रोविजनल अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण पत्र दिये जाने के सम्बन्ध

महोदय,

सादर अवगत कराना है कि श्रीमान् अपर जिलाधिकारी मैनपुरी के पत्र संख्या:-1002/न्याय सहाय
(पेट्रोलपम्प-एन0ओ0सी0-2019) दिनांक: 20.02.2019 पर आपके प्रष्ठांकन आदेश दिनांक 04.03.2019 के अनुपालन
मुझ प्रभारी अग्निशमन अधिकारी मैनपुरी श्री राकेश सिंह द्वारा दिनांक 05.03.2019 को उक्त के मानचित्र के अनु
स्थलीय निरीक्षण किया गया जिसकी आख्या निम्नवत् है:-

- 1-कुल प्लॉट एरिया-1699.25 वर्ग मीटर।
- 2-कुल कवर्ड एरिया-31.50 वर्ग मीटर।
- 3-प्रस्थावित स्थल मैनपुरी-भोगाँव मार्ग पर स्थित है।
- 4-प्रस्थावित स्थल मैनपुरी से 03 किलोमीटर दूरी पर स्थित है।
- 5-प्रस्थावित स्थल के ऊपर से कोई हाईटेन्शन लाइन नहीं गुजरी है।
- 6-प्रस्थावित स्थल के आस-पास किसी प्रकार के ज्वलनशील पदार्थ का भण्डारण नहीं है।
- 7-परिसर में प्रवेश व निकास हेतु 11.50 मीटर चौड़ाई के 02 गेट प्रस्थावित है।
- 8-प्रवेश व निकास मार्ग के मध्य 12.00 मीटर चौड़ी व 3.0 मीटर ऊँची बफर स्ट्रिप का प्राविधान प्रस्थावित है।
- 9-मानचित्र में 04 डिस्पेन्सर प्रस्थावित है जिसमें प्रथम डिस्पेन्सर एवं स्ट्रिप के मध्य की दूरी 06.00 मीटर है।
- 10-कुल भवन की ऊँचाई 6.00 मीटर है।
- 11-परिसर के चारों तरफ 1.2 मीटर ऊँची व 0.23 मीटर चौड़ी बिकवाल प्रस्थावित है।

प्रस्थावित व्यवस्था एवं अग्निशमन प्रणाली:-

1. कैंनापी का निर्माण अस्थाई संरचना के रूप में अनुमन्य होगा जिसकी भूतल से न्यूनतम ऊँचाई 6.0 मीटर से कम हो।
2. बिद्युत वायरिंग में एम0सी0बी0/ई0एल0सी0बी0 का प्रयोग मानकों के अनुसार किया जाये।
3. प्रत्येक टैंक के लिए अलग-अलग वेन्ट पाइप का प्राविधान किया जाये जो आपस में जुड़ी नहीं होनी चाहिए एवं ऊँचाई 04 मीटर होनी चाहिए तथा उसके चारों तरफ 04 मीटर में कोई निर्माण कार्य नहीं होना चाहिए।
4. वेन्ट पाइप पेट्रोलियम एक्ट-2002 के मानक के अनुरूप होना चाहिए।
5. टैंक में तेल भरते समय टैंक डिस्पेन्सर व लारी के पास खुली आग का प्रयोग करना वर्जित है।
6. लारी से टैंक में तेल भरते समय प्रोपर अर्थिंग होना अति आवश्यक है।
7. स्टोरेज टैंक के पास फायर बकेट बालू से भरी हुई 12 अदद मय स्टैण्ड रखी जाये।
8. प्रत्येक डिस्पेन्सर के पास आई0एस0 मार्का ए0बी0सी0 फायर एक्सटिंग्यूशर्स 2-2 अदद क्षमता 10 किलोग्राम में रखा जाये समस्त अग्निशमन उपकरण सदैव क्रियाशील दशा में होना चाहिए एवं उनका रख रखाव नियमानुसार किया जाना चाहिए।
9. अण्डर ग्राउण्ड टैंक के पास आई0एस0 मार्का ए0बी0सी0 फायर एक्सटिंग्यूशर्स 2-2 अदद क्षमता 10 किलोग्राम रखे जाये एवं 75 किलोग्राम वजन की डी0सी0पी0 ड्राली एवं 50 लीटर फोम की ड्राली होनी चाहिए।
10. इलैक्ट्रिकल उपकरणों के पास आई0एस0 मार्का कार्बन डाय ऑक्साइड फायर एक्सटिंग्यूशर्स 1-1 अदद क्षमता किलोग्राम के रखे जायें।
11. डीजल जनरेटर सेट के पास आई0एस0 मार्का कार्बन डाय ऑक्साइड फायर एक्सटिंग्यूर्स 02 अदद क्षमता 4.5 किलोग्राम के रखे जाये, और D.G set के स्टैक Height नियमानुसार होना चाहिए एवं टैंक के वेन्ट से उचित दूरी होनी चाहिए।
12. लाइसेंस एरिया में जंक्शन बाक्स के साथ सभी लाइटे फ्लेम प्रूफ होनी चाहिए।

कमश: पेज नं0-02 पर

13. प्रत्येक डिस्पेन्सर पर इमरजेन्सी स्टाप सिस्टम होना चाहिए।
14. इमरजेन्सी प्लान O.I.S.D. -225 के अनुसार होनी चाहिए।
15. पेट्रोल पम्प पर कार्यरत सभी कर्मचारियों की ट्रेनिंग O.I.S.D. -225 के अनुसार होनी चाहिए।
16. आपरेटिंग प्रोसीजर के बोर्ड लगे होने चाहिए।
17. इमरजेन्सी प्लान के भी बोर्ड लगे होने चाहिए।
18. केबिल्स ग्लेन्डिंग के साथ होना चाहिए।
19. इलैक्ट्रिक रूम Proper ventilation होना चाहिए।
20. पेट्रोल पम्प पर "धूमपान निषेध" के बोर्ड लगे होने चाहिए।
21. फायर स्टेशन का टेलीफोन नम्बर 101, 234211 व मोबाइल नम्बर 9454418467 और जिला कन्ट्रोल रूम का फोन नम्बर 100 बोर्ड पर सार्वजनिक रूम से अंकित कर लटकाये जाये।
22. ग्राहकों की जागरूकता के लिए निम्नांकित को बोर्ड पर अंकित कर लटकायें:-
 - (अ) तेल भरवाने से पहले वाहन का इंजन बंद कर लें।
 - (ब) धूमपान न करें।
 - (स) मोबाइल फोन बन्द रखें।

निम्नांकित का बोर्ड डिस्पेन्सर के पास लगायें:-

क्र०सं०	क्या करें	क्या न करें
1	मोबाइल फोन बन्द रखें	वाहन का इंजन जब तक स्टार्ट न करें जब तक वाहन के टैंक से नाजुल अलग न हो जाये।
2	तेल भरते समय वाहन का इंजन बन्द रखें।	खुली आग का प्रयोग न करें
3	सुनिश्चित कर लें कि डिस्पेन्सर के पास अग्निशमन यंत्र रखें हुए है।	धूमपान न करें
4	तेल रिसाव/आग की स्थिति में डिस्पेन्सर का इमरजेन्सी स्टाप बटन दबायें।	लारी से टैंक से तेल भरते समय वाहनों में तेल न भरें।

अतः उपरोक्तानुसार आख्या संस्तुति सहित प्रेषित हैं।

[Signature]
5/8/19
प्रमुख अधिकारी
अग्निशमन विभाग
नैनीपुरी

[Signature]
5/8/19

मो. एहतशाम जुबैर / Mohd. Ehtasham Zuberi
मुख्य प्रबंधक (रिटेल सेल) / Chief Manager (Retail Sales)
इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लि. (पि. प्र.)
Indian Oil Corporation Ltd. (M. D.)
आगरा मण्डल कार्यालय / Agri Divisional Office
इंडियन ऑयल हाउस / Indian Oil House
65/2, संजय प्लेस, आगरा- 202002 (उ.प्र.)
65/2, Sanjay Place, Agra- 202002 (U.P.)